

RR No. 2480

[PAGE 1] [FILENAME]

11-312

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:- प.16(1)साप्र / 2 / 2012

जयपुर, दिनांक

17 SEP 2012

- आदेश :-

राजस्थान के मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 के नियम 5(1) (क) के प्रावधानानुसार निम्न को उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु उक्त पद पर बने रहने तक के लिए एतदद्वारा निःशुल्क आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम मंत्री	आवंटित आवास संख्या
1	श्री रतन देवार्सी सरकारी उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर	15, विधायकपुरी, जयपुर

राज्यपाल की ओँज्ञा से,

(राजीव जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख सचिव, महामहिम, राज्यपाल / मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- सम्बागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर, जयपुर।
- श्री रतन देवार्सी, सरकारी उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
- सहायक सचिव (सामान्य) राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र संख्या एफ 2(140)स.सु / वि.स. / 2008-12 / 35783 दिनांक 27.8.2012 के क्रम में।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-1,2,3, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, जन स्वाठा अभियोग विभाग, गांधीनगर / सिविल लाइन्स, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विभाग निगम लिंग, गांधीनगर / सिविल लाइन्स, जयपुर।
- निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, शासन राचिवालय, जयपुर।
- उप सचिव (वीपी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी संख्या एफ-12004213 दिनांक 6.9.2012 के क्रम में।
- शासन उप सचिव (क), सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
- विशेषाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय / जयपुर शहर, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर / सिविल लाइन्स / विधायकपुरी, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
- समस्त अनुभाग (ग्रुप-1,3,4,5,6) सामान्य प्रशासन विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
- रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव